हकेवि में आयोजित किया तीन दिवसीय जागरूकता शिविर

उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन के पहलुओं पर डाला प्रकाश

महेंद्रगढ़ | हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेंवि), महेंद्रगढ़ में आयोजित तीसरे तीन दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। शिविर का आयोजन विवि के ई-सेल एवं नवप्रवर्तन, कौशल और उद्यमिता विकास केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में डीएसटी एनआईएमटी एंड ईडीआई अहमदाबाद के सहयोग से 13 से 15 मार्च, 2018 तक किया गया। विवि के ई-सेल एवं कार्यक्रम की संयोजक डॉ. सुनीता तंवर ने बताया कि शिविर का आयोजन कुलपति प्रो. आरसी कुहाड़ के मार्गदर्शन में हो रहा है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अतिथि व्याख्यान देने के लिए पोलीटेक्निको यूनिवर्सिटी, स्पेन के प्रो. वेलीरी चिस्टोव ने उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों को समझाया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागियों का प्रबंधन अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आनन्द शर्मा ने स्वागत किया। नवप्रवर्तन, कौशल और उद्यमिता विकास केंद्र के संयोजक प्रो. नवल किशोर ने प्रतिभागियों को समझाया कि किस तरह से वे एक आइडिया को विकसित कर सकते हैं।

हरियाणा केंद्रीय विवि ने मनाया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

भास्कर न्यूज | महेंद्रगढ़

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर विधि, शासन, लोकनीति नीति एवं प्रबंधन पीठ ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन

किया। विवि की कार्यकारी परिषद के सदस्य व दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के पूर्व प्रो. डीपीएस वर्मा ने विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। उन्होंने उपभोक्ता सुरक्षा के महत्त्व से अवगत कराया और इसके कानूनी पहलुओं की जानकारी दी।

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रदीप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया। इसमें भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर प्रतिभागियों ने अपनी बात रखी। इसमें प्रमुख रूप से विधि विभाग की आशिया, इदरीस, स्वर्णवर्णा, प्रबंधन अध्ययन विभाग के उज्ज्वल, श्रीनिवासन व वाणिज्य विभाग की स्वाति व प्रीति ने हिस्सा लिया। विवि के प्रो. मूलचंद शर्मा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन शुभ्रांगना ने और धन्यवाद ज्ञापन प्रबंधन अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद शर्मा ने किया।

सामान खरीदते समय सजग रहें उपभोक्ता, बिल जरूर लें

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कार्यक्रम, लोगों को किया जागरूक

अमर उजाला ब्यूरो

नारनौल।

सहायक खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा वीरवार को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया। इस मौके पर जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक योगेंद्र सिंह ने विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उन्होंने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के जानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को हमेशा सामान खरीदते समय सजग एवं मोल-भाव करके ही सामान खरीदना चाहिए। ग्राहक को सामान का बिल अवश्य लेना चाहिए ताकि उपभोक्ता फोरम शिकायत के समय बिल काम आ सकें। उन्होंने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम, 1896 में प्रदत्त अधिकारों से अवगत करवाया जा सके । इस अवसर पर विभाग के उपनिरीक्षक विजयपाल ने उपभोक्ताओं अपने अधिकारों को पहचानें एवं उनका प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2018 की थीम सुरक्षित डिजिटल बाजार है। उपभोक्ता को अपना किसी भी प्रकार का पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपनिरीक्षक रवि कुमार ने भी जागो ग्राहक जागो के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विभाग के लेखाकार रवींद्र कुमार, केसर सिंह, सत्यवीर सिंह एवं अन्य लोग मौजूद थे।

हकेंवि में छात्रों को उपभोक्ता सुरक्षा के महत्व से करवाया अवगत

हकेंवि में व्याख्यान देते प्रो. डीपीएस वर्मा।

महेंद्रगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर विधि, शासन, लोकनीति एवं प्रबंधन पीठ ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स के पूर्व प्रो. डीपीएस वर्मा ने विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भारत में उपभोक्ता सुरक्षा के उद्भव और विकास के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने उपभोक्ता सुरक्षा के महत्व से भी अवगत कराया एवं इसके कानूनी पहलुओं की भी जानकारी दी। विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रदीप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया, जिसमें भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर प्रतिभागियों ने अपनी बात रखी। इसमें प्रमुख रूप से विधि विभाग की आशिया, इदरिस, स्वर्णवर्णा, प्रबंधन अध्ययन विभाग के उज्ज्वल, श्रीनिवासन एवं वाणिज्य विभाग की स्वाति व प्रीति ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय के प्रो. मूलचंद शर्मा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच संचालन शुभ्रांगना ने एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रबंधन अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद शर्मा ने ज्ञापित किया।

‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस : सुरक्षित डिजीटल बाजार’

उपभोक्ता दुकानदार से सामान का बिल अवश्य प्राप्त करें : जय यादव

रेवाड़ी, 15 मार्च (वधवा): जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपायुक्त पंकज के मार्गदर्शन में आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पी.आर. सैंटर रेवाड़ी में मनाया गया जिसमें आम नागरिकों के साथ-साथ जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा मापतोल विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर निरीक्षक जय यादव ने उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी वस्तु खरीदते समय आम आदमी उपभोक्ता है तथा यदि उपभोक्ता थोड़ी सी सावधानी बरते तो वह कहीं भी धोखा नहीं खा सकता। उन्होंने कहा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2018 का थीम ‘सुरक्षित डिजीटल बाजार’ है। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बारे विस्तार से जानकारी प्रदान की।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र सरल तरीके से तथा कम खर्च में दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर जिला फोरम का गठन किया हुआ है, जिनका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना तथा उनकी रक्षा करना है।

विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर व्याख्यान करते प्रो.। मोहन

उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण उपभोक्ता अपने आप को ठगा-सा महसूस करता है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे दुकानदार से कोई भी खाद्य सामग्री या वस्तु खरीदते समय उसकी अच्छी तरह से जांच करें, कहीं वह सामग्री या वस्तु एक्सपायरी अथवा पुरानी तो नहीं है तथा दुकानदार से सामान का बिल अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने उपभोक्ताओं से खरीदारी करते समय सतर्क रहने की अपील की।

निरीक्षक मुकेश यादव ने कहा कि सभी तरह के खतरनाक समान और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार, सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी का अधिकारी, माल और सेवाओं के मुक्त विकल्प का अधिकार, उपभोक्ता हितों से सम्बंधित सभी निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होने पर निपटने का अधिकार व उपभोक्ता शिक्षा पूरी करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय अनुसार उपभोक्ता हितों से सम्बंधित सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था, एन.जी.ओ., स्कूल, कालेज, ग्राम पंचायतें, नगरपरिषद को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार 50 हजार, द्वितीय पुरस्कार 25 हजार तथा तृतीय पुरस्कार 15 हजार रुपए निर्धारित किया गया।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता समस्या के समाधान हेतु राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र का टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087 व 1800-180-1967 पर किसी भी कार्य दिवस में 9 बजे से 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं की भी जानकारी दी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर वस्तुओं की गुणवत्ता देखकर ही उन्हें खरीदें की शपथ भी दिलवाई गई।

इस अवसर पर मापतोल विभाग के निरीक्षक सुरेन्द्र पाल, निरीक्षक सतेन्द्र, ऑडिटर बाबूलाल व कृष्णलाल सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।

ह.कें.वि. ने मनाया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

विधि, शासन, लोकनीति एवं प्रबंधन पीठ ने किया आयोजन

महेंद्रगढ़ (मोहन/परमजीत): हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेंवि), महेंद्रगढ़ में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर विधि, शासन, लोकनीति, नीति एवं प्रबंधन पीठ ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य व दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व प्रो. डी.पी.एस. वर्मा ने विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व शिक्षकों को भारत में उपभोक्ता सुरक्षा के उद्भव और विकास के विषय में विस्तार से बताया।

प्रो. वर्मा ने इस अवसर पर उपभोक्ता सुरक्षा के महत्व से भी अवगत करवाया और इसके कानूनी पहलुओं की भी जानकारी दी।

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डा. प्रदीप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया जिसमें भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर प्रतिभागियों ने अपनी बात रखी। इसमें प्रमुख रूप से विधि विभाग की आशिया, इदरिस, स्वर्णवर्णा, प्रबंधन अध्ययन विभाग के उगवल, श्रीनिवासन व वाणिज्य विभाग की स्वाति व प्रीति ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय के प्रो. मूलचंद शर्मा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच संचालन शुभ्रांगना ने और धन्यवाद ज्ञापन प्रबंधन अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष डा. आनंद शर्मा ने ज्ञापित किया।

‘जागो ग्राहक जागो’

नारनौल (पवन): सहायक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया।

इस मौके पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक योगेंद्र सिंह ने विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के जानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को हमेशा सामान खरीदते समय सजग एवं मोल-भाव करके ही सामान खरीदना चाहिए। ग्राहक को सामान का बिल अवश्य लेना चाहिए ताकि उपभोक्ता फोरम शिकायत के समय बिल काम आ सकें। उन्होंने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम, 1896 में प्रदत्त अधिकारों से अवगत करवाया जा सके।

इस अवसर पर विभाग के उपनिरीक्षक विजयपाल ने उपभोक्ताओं अपने अधिकारों को पहचानें एवं उनका प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2018 की थीम सुरक्षित डिजिटल बाजार है। उपभोक्ता को अपना किसी भी प्रकार का पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपनिरीक्षक रवि कुमार ने भी जागो ग्राहक जागो के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विभाग के लेखाकार रविंद्र कुमार, केसर सिंह, सत्यवीर सिंह एवं अन्य लोग मौजूद थे।